तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ

शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य

एकल–पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी।

(2) श्री पी.एस.दशौरा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ के निर्णय दिनांक 29-6-04 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ के समक्ष अप्रार्थी भेरा ने अधिनियम की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा छोटी सादडी के मजरा धावडा में आराजी खसरा नम्बर 2153,2154,2155 व 2159 प्रार्थी के नाम दर्ज है जिस पर करीब 10 वर्ष से प्रार्थी द्वारा कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल किया जावे। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 14-3-01 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-11-01से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण दुबारा सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15-11-03 से अपने पूर्व निर्णय को कायम रखा। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ के न्यायलय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-6-04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर 32साल से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उस पर विश्वास नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।उनका तर्क है कि विक्रय पत्र प्रदर्श-1रोडी बाई पत्नी शोभा लाल बलाई के नाम पर होने से प्रार्थी शोभा लाल का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं माना जा सकता। यह अवधारणा भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ली जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ** **शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्रार्थी शोभा लाल का कब्जा करना बताया है जो एक दूसरे के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाया जावे।

5- बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि पटवारी ने दिनांक 30-6-2000को जो पर्चा मौका बनाया उसमें प्रार्थी का कब्जा 10वर्ष से ही होना उल्लेखित किया है। प्रार्थी ने रेफरेन्स से सम्बन्धित कार्यवाही एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की हैं एवं न ही धारा 175 की कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये हैं। दिनांक 21-9-71 का विक्रय पत्र प्रार्थी के नाम न होकर उसकी पत्नी रोडी बाई के नाम है।विक्रेता अनुसूचित जन जाति का सदस्य है और क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। ऐसी स्थिति में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है और विक्रय पत्र शून्य है।इसलिये निगरानी खारिज की जावे।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7- दौराने निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 भेरा का देहान्त होने पर प्रार्थी की ओर से उसके कायम मुकाम हीरा पुत्र भेरा को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात भेरा के स्थान पर उसके पुत्र हीरा को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।

8- पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है कि तहसीलदार छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ के समक्ष अप्रार्थी भेरा ने अधिनियम की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा छोटी सादडी के मजरा धावडा में आराजी खसरा नम्बर 2153,2154,2155 व 2159 प्रार्थी के नाम दर्ज है जिस पर करीब 10 वर्ष से प्रार्थी द्वारा कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल किया जावे। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 14-3-01 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-11-01से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण दुबारा सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15-11-03 से अपने पूर्व निर्णय को कायम रखा। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ के न्यायलय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-6-04 से अपील खारिज कर दी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका 30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ</u>** **शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्ष पुराना कब्जा है। इस बाबत तहसीलदार ने समस्त गवाहान के बयानों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जन जाति के खातेदार द्वारा अन्य जाति के व्यक्ति को कृषि भूमि बेचान पर प्रतिबन्ध है। ऐसी स्थिति में इस धारा के विरूद्ध कराया गया कोई भी विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य माना जावेगा। विवादित आराजी का बेचान दिनांक 21-9-71 को किया गया है, उस तिथी से ही यह विक्रय पत्र शून्य माना जावेगा और इस आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रत्येक बिन्दु बाबत विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ** **शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	र आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के प्रावधान हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं और **2006 डब्लू एल सी वो-2 एस सी पेज 253-** Civil Procedure Code, O 7, R 11-Scope-Objections under R.11 has to be decided on basis of material contained in Plaint without considering any other material. **2006 डब्लू एल सी वो-1एस सी पेज 619-** Civil Procedure Code O.7 R.11-Scope- Plaint cannot be rejected on basis of allegations in written statement-Plaint has to be read as a whole- Opinion of judge that plaintiff may not succeed cannot be ground to reject plaint.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ** **शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 7 नियम 11जा.दी. के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को केवल वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को तय करना होता है न कि पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे या अन्य साक्ष्य के आधार पर। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय 2006 डब्लू एल सी वो–2 एस सी पेज 253,2006 डब्लू एल सी वो–1एस सी पेज 619 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। 2006 डब्लू एल सी वो–2 एस सी पेज 253– Civil Procedure Code, O7R11-Scope-Objections under R.11 has to be decided on basis of material contained in Plaint without considering any other material. 2006 डब्लू एल सी वो–1एस सी पेज 619– Civil Procedure Code O.7R.11-Scope- Plaint cannot be rejected on basis of allegations in written statement- Plaint has to be read as a whole- Opinion of judge that plaintiff may not succeed cannot be ground to reject plaint.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3450/2004/चित्तौडगढ</u>** **शोभालाल बनाम भेरा राम के कायम मु. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए